बागवानी उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध

भारत सरकार का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) देश में वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं चला रहा है।

बोर्ड वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मोड पर संरक्षित आवरण के तहत सब्सिडी दे रहा है।

एन एच बी फलों, सब्ज़ियों, फूलों, सुगंधित पौधों (आसवन इकाइयों) और काजू के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

योग्य फसलें

केवल फल, सब्ज़ियां, फूल, सुगंधित पौधे और काजू सब्सिडी के पात्र हैं।

सहायता का प्रतिरूप

25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में प्रति परियोजना की कुल लागत का 35% या 8.75 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों व अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50% या 12.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। लाभार्थियों को नामित बैंकों से ऋण लेने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

उत्पादक, निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक/उपभोक्ताओं के समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन के संघ, कृषि उपज विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस ए यू) और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

प्राथमिक प्रसंस्करण परियोजना के लिए पात्रता और लागत मानदंड के बारे में विवरण एन एच बी की वेबसाइट http://www.nhb.gov.in पर दिया गया है।